

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0- 1/न0वि0/मु0स्था0/120/2010..... 41 - राँची/दिनांक:- 01/03/17

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के विज्ञापन सं0- 1/न0वि0/मु0स्था0/120/2010-7039 दिनांक 22.12.2016 के आलोक में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने के क्रम में दिनांक 22.01.2017 को आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं दिनांक 24.01.2017 को आयोजित साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर विभागीय सूचना संख्या-1068 दिनांक 11.02.2017 के द्वारा औपबंधिक रूप से कोटिवार 13 सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

उक्त प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय आदेश सं0- 28 दिनांक 12.02.2017 के द्वारा कुल 13 अभ्यर्थियों की सेवायें संविदा के आधार पर प्राप्त की गई है, जिनका पदस्थापन नगर प्रबंधक के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- IV में अंकित स्थान पर किया जाता है:-

क्र0 सं0	क्रमांक	नवनियुक्त नगर प्रबंधकों के नाम	पदस्थापन का शहरी स्थानीय निकाय
i	ii	iii	iv
1	40237	श्री अभिषेक एस0 सिन्हा	राँची नगर निगम
2	40004	मो0 महफुज आलम	आदित्यपुर नगर निगम
3	40042	श्री सुमीत सुमन	धनबाद नगर निगम
4	40231	श्री अरविन्द कुमार	हजारीबांग नगर निगम
5	40200	श्री विश्वनाथ भगत	मधुपुर नगर परिषद
6	40026	सुश्री स्नेहा श्री	जामताड़ा नगर पंचायत
7	40197	श्री नवीन भूषण कुल्लू	लोहरदगा नगर परिषद
8	40196	श्री सोना पिंगुआ	मिहिजाम नगर परिषद
9	40122	श्री अनिल उराँव	चतरा नगर परिषद
10	40119	सुश्री क्रिस्टीना कच्छप	राजमहल नगर पंचायत
11	40043	श्री राँबिन सौरव कच्छप	मंझियाँव नगर पंचायत
12	40025	सुश्री समीता भगत	हुसैनाबाद नगर पंचायत
13	40038	श्री उत्तम प्रकाश कुजूर	नगर उटौरी नगर पंचायत

- उपर्युक्त सभी नगर प्रबंधक अपने नाम के सम्मुख अंकित शहरी स्थानीय निकाय में दिनांक 10.03.2017 तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- यह आदेश सद्यः प्रभाव से लागू होगा।

(आशीष सिंहमार)

निदेशक,

नगरीय प्रशासन निदेशालय।

ज्ञापांक:-1/न0वि0/मु0स्था0/120/2010.....1420 राँची/दिनांक:-.....७1/०3/17

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगरीय प्रशासन निदेशालय/लेखा शाखा, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित शहरी स्थानीय निकाय एवं सभी संबंधित नगर प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से अनुरोध है कि नगर प्रबंधकों का योगदान स्वीकृति संबंधी सूचना नगरीय प्रशासन निदेशालय को प्रेषित की जाय।

28/2/17

निदेशक,

नगरीय प्रशासन निदेशालय।

K.Kobu